न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 152/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/163)

पंजीयन दिनांक– 10.03.2021

निर्णय दिनांक– 15.09.2021

1. श्री भैरू उर्फ भैरा पिता परथू जाट, निवासी भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री बद्रीलाल पिता स्व. उदयराम जाट, निवासी भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती केसर बाई पुत्री भैरू उर्फ भैरा पत्नि घासीलाल जाट, निवासी भादसोडा हाल मुकाम सारंगपुरा, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती अणछी बाई पुत्री भैरू उर्फ भैरा पत्नि सीताराम जाट, निवासी भादसोडा हाल मुकाम कोलपुरा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
3. उप तहसीलदार (उप पंजीयक) भादसोडा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. भूमिधारी तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री भगवानलाल पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के
प्रकरण संख्या 01/2015 निर्णय दिनांक 30.09.2015

निर्णय

दिनांक 15.09.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या 01/2015 निर्णय दिनांक 30.09.2015 के

विरूद्ध दिनांक 12.09.2019 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 10.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स/अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील नामांतरकण संख्या 78 दिनांक 19.07.2014 उप तहसीलदार, भादसोडा के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि मौजा भादसोडा, तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 2947 से 2949, 3127, 3140, 3142, 3328, 3334, 3335, 3622, एवं 3646 कुल किता 11 रकबा 7.81 हैक्टेयर भूमि पंजीकृत हकत्याग विलेख दिनांक 17.07.2014 से भैरू उर्फ भैरा से बद्रीलाल के नाम पर दर्ज की गयी उक्त आराजीयात परथू की थी। परथू की मृत्यु के बाद वर्णित आराजीयात भैरू उर्फ भैरा व उदयराम के नाम पर दर्ज की गयी। रेस्पोडेंट्स/अपीलांटगण भैरू उर्फ भैरा की जायंदा पुत्रियां होकर उनका उक्त आराजीयात में जन्म से अधिकार है, लेकिन भैरू उर्फ भैरा ने बद्रीलाल के नाम पर हकत्याग विलेख दिनांक 17.07.2014 पंजीकृत करवा दिया है जिसमें भैरा पिता परथू के कोई जायंदा औलाद होने का हवाला नही दिया गया है जबकि रेस्पोडेंट्स/अपीलांटगण भैरा उर्फ भैरू की जायंदा पुत्रियां होकर उनका भी विधि अनुसार हक व हिस्सा निहित है। अतः उक्त हक परित्याग विलेख के आधार पर नामांतरकरण संख्या 78 बद्रीलाल के नाम खोल दिया जिसे निरस्त किया जावें। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2015 दर्ज कर निर्णय दिनांक 30.09.2015 से

रेस्पोडेंट्स/अपीलांटगण की अपील स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.09.2015 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"पंजिकृत हकत्याग विलेख को लेकर अपीलांटगण ने इसी न्यायालय में पंजिकृत हक त्याग विलेख को शुन्य घोषित कराने व विवादित आराजीयात में घोषणा करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र रेस्पोडेंटगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है व इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 147/2013 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 25.11.2013 को संपूर्ण आराजीयात के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया है उक्त स्थगन आदेश एवं वादपत्र इसी न्यायालय में विचाराधीन है। चूकिं उक्त हक परित्याग में जो वंश वृक्ष अंकित किया गया उसमें भेरा पिता परथू के जाईन्दा औलाद होने का हवाला नहीं दिया गया है जबकि अपीलांट्स भेरा उर्फ भैरू की जाईन्दा पुत्रियां होकर उनका भी विधि अनुसार हक व हिस्सा उक्त आराजीयात में नियत है लेकिन अपीलांट्स को नुकसान पहुचाने की नियत से एवं उनके हितों से महरूम करने की नियत से उक्त हक परित्याग विलेख निस्पादित कर उक्त हक परित्याग के आधार पर नामांतरकरण संख्या 78 ग्राम पंचायत भादसोडा ने रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 के अकेले के नाम खोल दिया है जो सर्वथा विधि विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नामांतरकरण संख्या 78 दिनांक 19.07.2014 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार, भदेसर को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार पक्षकारान को सुना जाकर नामांतरकरण की कार्यवाही एक माह में की जाकर निर्णित करें।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानलाल पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 08.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के नामांतरण की अपील की कोई जानकारी अपीलांट को नही थी और बगैर अपीलांट को सुने निर्णय पारित किया है। इस प्रकरण में वादीया स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश करने का तथ्य लिखा है व उसमें स्थगन होने का तथ्य भी लिखा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रकरण संख्या 147/2013 में स्थगन आदेश जारी किया है जो विचाराधीन है फिर भी नामांतरण संख्या 78 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया गया। नामांतरण की कार्यवाही एक फिसकल एन्ट्री है इसमें पक्षकारों के हक अधिकारों का हक निर्धारण नही होता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरण बगैर सक्षम न्यायालय के घोषणात्मक डिक्री के नामांतरण निरस्त कर निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने एक दावा एडीजे, निम्बाहेडा में हकत्याग पत्र को निरस्त कराए जाने बाबत पेश कर रखा है जो अभी विचाराधीन है जिसका प्रकरण संख्या 19/2015 सी. ओ. है जिसमें तारीख पेशी 28.08.2019 नियत थी, इस प्रकार पक्षकारों के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण केसर बाई द्वारा प्रस्तुत मूल दावे में गवाह सबूत लेकर होगा और बगैर स्वत्व अधिकार के निर्धारण किये जो

नामांतरण की अपील में फिस्कल प्रोसेडिंग है एवं इसलिए इस प्रकरण में मूल दावे के निर्णय तक अपील की कार्यवाही अपास्त की जानी थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर, जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य होकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 व 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा दिनांक 30.09.2015 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2015 को जो निर्णय किया गया, वह अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाण्ट यानि रेस्पोंडेण्ट की उपस्थिति में ही किया गया जिसकी पूर्व जानकारी अपीलाण्ट को होना प्रमाणित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपने आवेदन दफा 5 जाब्ता मियाद में भी यह वर्णित किया है कि उसे उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी तथा इस हेतु उसके द्वारा शपथ–पत्र भी दिया गया है। अखण्डित शपथ–पत्र, न्यायहित एवं गुणावगुण पर निर्णय के दृष्टिगत मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम अपीलाण्ट द्वारा अपील में उठाये गये उजरात के आधार पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि उभय पक्षों की यह स्वीकृति है एवं तथ्यात्मक स्थिति है कि विवादित भूमियां परथु के समय की है तथा परथु की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भेरा व उदयराम के नाम उक्त भूमि आयी। उदयराम की मृत्यु के बाद बद्रीलाल उसके पुत्र के रूप में राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठ हुआ। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 भेरू की पुत्रियां एवं परथु की पौत्रियां

है एवं उनके द्वारा उनके पिता भेरू ने बद्रीलाल के पक्ष में हो हकत्याग किया, उसको चुनौती दी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त चुनौती/अपील को स्वीकार करते हुए भेरू द्वारा बद्रीलाल के पक्ष में किये गये हकत्याग के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि भेरू ने वंश वृक्ष में उसकी पुत्रियों का हवाला नहीं दिया तथा स्वयं को लाऔलाद होना बता दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि पंजीकृत हकत्याग का लेकर पंजीकृत विलेख को शुन्य घोषित करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र भी रेस्पोंडेण्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों का पूर्ण विवेचन किये बिना निर्णय किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार दादा की सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में उसके पुत्र या पुत्रियों का कोई हक नहीं होता, जबतक कि भूमि **Coparcenary** (4 पीढ़ियों से आना) प्रमाणित नहीं हो। इस प्रकरण में भूमि परथु के समय से आना प्रमाणित है, तद्नुसार भेरू के जीवनकाल में उसकी पुत्रियों का इस भूमि में कोई हक नहीं बनता एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत भेरू अपने पिता से प्राप्त भूमि का अपने जीवनकाल में किसी भी प्रकार से उपयोग, उपभोग एवं हस्तान्तरण करने को स्वतंत्र है। यदि उसके द्वारा जो हकत्याग अपने भतीजे के पक्ष में किया गया है, उसमें स्वयं को लाऔलाद होना बता दिया है तो इससे भेरू के हक त्याग के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं फिर भी भेरू हकत्याग या किसी प्रकार के हस्तान्तरण को स्वतंत्र रहता है। उसके लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह इस भूमियों को अपनी पुत्रियों की सहमति लेकर ही हस्तान्तरण करें क्योंकि भूमियां **Coparcenary** होना प्रमाणित नहीं है, अतएवं भेरू के जीवनकाल में उसे परथु से प्राप्त भूमियों में उसकी पुत्री केसर एवं अणछी का हक नहीं माना जा सकता। प्रकरण में यह

भी स्वीकृत स्थिति है कि केसर एवं अणछी रेस्पोंडेण्ट जो कि भेरू की पुत्रियां है, उनके द्वारा पंजीकृत हकत्याग को निरस्त करवाने हेतु सक्षम राजस्व एवं सिविल न्यायालयों में भी चुनौती दे रखी है, अर्थात् अभी तक किसी भी सक्षम न्यायालय से पंजीकृत हकत्याग निरस्त नहीं हुआ है एवं उसके कोई भी स्थगन होना भी रेस्पोंडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या इस न्यायालय में प्रमाणित अथवा प्रस्तुत नहीं किया है, तद्नुसार यह स्पष्ट होता है कि किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को सही मानने की उपधारणा हमेशा विद्यमान रहती है, जब तक कि वह **Void ab-initio** नहीं हो एवं इस प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि पंजीकृत दस्तावेत से भेरू ने हकत्याग बद्रीलाल के पक्ष में किया एवं उक्त हकत्याग की वैद्यता को अपास्त नहीं किया गया एवं उक्त पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर भेरू द्वारा बद्रीलाल के पक्ष में किये गये हक त्याग के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को अस्पष्ट, भ्रामक व बिना ठोस कारणों के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपास्त करते हुए प्रकरण को जो तहसीलदार को प्रतिप्रेषण का आदेश दिया है, उसे हम तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से उचित नहीं मानते, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का प्रकरण संख्या 1/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2015 को अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 78 दिनांक 19.07.2014 उप तहसीलदार, भादसोड़ा को बहाल रखा जाता है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर